

फर्द अहकाम

बनाम रीतराम

शांति

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
 व बाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

06/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा  
 या कार्यवाही

22/11/24

पत्रावली पेश हुई उग्रपक्ष अधिवक्ता  
 उपस्थित। उग्रपक्ष अधिवक्ता की  
 प्रार्थना पत्र अध्यापी निषेधाज्ञा पर  
 बहल पूर्व में खरी जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड  
 का अवलोकन करते एवं दौरान बहल  
 जादिर तथ्यो पर मनन करते के उपरान्त  
 दानित लगसते हुई विवादित आरजी  
 रकसा न. 221, 275, 276। कुल बिदा  
 3 कुल रकबा 9.1803 हेक्टर विस्त  
 ग्राम श्यामपुरा प.ह. मौखपुरा तह.  
 बस्सी जि. जयपुर के सम्बन्ध में  
 अप्रार्थीगण। लगभग 14 की जरिये  
 अध्यापी निषेधाज्ञा के पाबंद किया  
 जाता है कि वे मूल वादग्र के अंतिम  
 निस्तारण तउ विवादित अन्त आरजी  
 पर मौखे एवं रिकार्ड की यथास्थिति  
 बनाये रखें।

पत्रावली फेसल जुमर होकर बाद  
 तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज  
 नम्बर है कम ही।